

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

अधि०सं० ५६०३६३२

/ग्रा०वि० पटना, दिनांक १५/०९/२०२५

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

श्रीमती नीलम (बिहार ग्रामीण विकास सेवा, अनुक्रमांक-108163), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक 09.06.2025 को परिवादी श्री मिथलेश कुमार से 20,000/- रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रिश्वत लेने के आरोप में उनके विरुद्ध निगरानी थाना कांड संख्या 35/2025 दिनांक- 06.06.2025 दर्ज होने की सूचना पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक- 955/अप०शा० पटना, दिनांक- 20.06.2025 से दी गयी।

विभागीय अधिसूचना सं०- 4316750 दिनांक- 09.07.2025 द्वारा श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम- 9(2)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में कारा निरोध की तिथि 09.06.2025 से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया गया।

2. श्रीमती नीलम द्वारा दिनांक- 21.08.2025 को कारा से मुक्त होने के उपरान्त दिनांक- 22.08.2025 को विभाग में अपना योगदान समर्पित किया गया।

3. विभागीय अधिसूचना संख्या-...५६०३५७०... दिनांक-...१५.०९.२०२५... द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(3)(1) के आलोक में श्रीमती नीलम को निलम्बन से मुक्त करते हुए दिनांक-22.08.2025 के प्रभाव से योगदान स्वीकृत किया गया।

4. श्रीमती नीलम के विरुद्ध गंभीर कदाचार/भ्रष्टाचार का आरोप है एवं इनके अभियोजन स्वीकृति की कार्रवाई भी प्रक्रियाधीन है।

अतः श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) में निहित प्रावधान के आलोक में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलम्बित किया जाता है।

5. निलम्बन अवधि में श्रीमती नीलम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

6. निलम्बन अवधि में श्रीमती नीलम का मुख्यालय, उप विकास आयुक्त, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15.9.25
(मन्जु प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

सापांक ५६०३६३२

/ग्रा०वि० पटना, दिनांक १५/०९/२०२५

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

का०परि०

बही

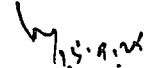
प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में सी.डी. सहित) को बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग; बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.9.25
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक 4603632 /ग्राOविO पटना, दिनांक 15/09/2025

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

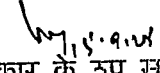
प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली एवं पटना/पुलिस अधीक्षक, वैशाली एवं पटना/उप विकास आयुक्त, वैशाली एवं पटना/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-03, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, वैशाली/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना /प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली/ श्रीमती नीलम, प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज, जिला- वैशाली (सम्प्रति मुख्यालय:- ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना) पता:- पति- श्री प्रभात समीर, पिता- श्री मुन्नी लाल पासवान, साO- बड़ा बरियारपुर, थाना- छत्तीनी, जिला- पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :- 4603632 /ग्राOविO पटना, दिनांक :- 15/09/2025

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

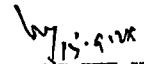
प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :- 4603632 /ग्राOविO पटना, दिनांक :- 15/09/2025

R-503/50/2025-Section-14-RDD-RDD

प्रतिलिपि:- आईOटीO मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।


सरकार के उप सचिव।